1151

[2022] 6 एस. सी. आर 1151

/

डिबाकर नूनिया और ए. एन. आर. बनाम

असम का राज्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 962) 30 अगस्त, 2022

/

[दिनेश माहेश्वरी और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302, 34 – प्रत्यक्षदर्शी, जब विश्वसनीय नहीं थे-व्यक्ति पर बेरहमी से हमला किया गया, महत्वपूर्ण भागों पर कई चोटें आईं, उनकी मृत्यु हो गई-अपीलकर्ताओं ने यू/एस को दोषी ठहराया।302/34 – अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःप्रश्न निष्कर्ष अनिवार्य रूप से मृतक के माता-पिता, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3, कथित चश्मदीद गवाहों की गवाही पर आधारित हैं-कथित तौर पर, उन्होंने अपने बेटे को दो व्यक्तियों द्वारा हथियार से हमला करते हुए देखा-पीडब्लू-2 कथित तौर पर अपने बेटे के शरीर से खून बहते हुए देखकर बेहोश हो गया-इस प्रकार, यह समझना मुश्किल है कि वे अपने घायल बेटे के कल्याण की परवाह किए बिना घर जाएंगे, खाना खाएंगे और बिस्तर पर जाएंगे-सामान्य रूप से ऐसा आचरण अनुचित और अस्वीकार्य होगा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने भी कहा-यह इस तथ्य के साथ जोड़ा गया कि उन्होंने कथित तौर पर पीडब्लू-1 (मृतक के भाई) को घटना के बारे में तब बताया जब वह उसका शव देखने के बाद घर पहुंचा और फिर प्राथमिकी दर्ज की गई।

/

/

/

/

/

/

1151 ए.

आपराधिक विधि -तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष-उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप-जब उचित हो-आयोजित किया गयाःआम तौर पर, तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील में, सर्वोच्च न्यायालय साक्ष्य की पुनः प्रशंसा नहीं करेगा-हालाँकि, यदि निचली अदालत और उच्च न्यायालय का मूल्यांकन विधि या प्रक्रिया की किसी त्रुटि या साक्ष्य के गलत अध्ययन या न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों की किसी भी अवहेलना से दूषित हो जाता है जिससे गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय न्याय की विफलता को रोकने के लिए एक उपयुक्त मामले में हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकता है।

/

आपराधिक विधि -"उचित संदेह"-क्या है-आयोजितःएक उचित संदेह केवल एक संभावित संदेह नहीं है, बल्कि कारणों और सामान्य ज्ञान पर आधारित एक उचित संदेह है-यह मामले में साक्ष्य से विकसित होना चाहिए-जब किसी मामले में एक उचित संदेह उत्पन्न होता है, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

/

भास्कर रामप्पा मदार और अन्य बनामकर्नाटक राज्यः

(2009) क्राई। एल**.** जे**. 2422 (**एससी**)-**पर निर्भर था।

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2011 की आपराधिक अपील संख्या 962।

2006 की आपराधिक अपील संख्या 79 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय , गुवाहाटी के दिनांकित 17.09.2009 के निर्णय और आदेश से।

/

वरिंदर कुमार शर्मा, पारुल शर्मा, शांतनु शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

प्रतिवादी की ओर से देबोजीत बोरकाकाटी, अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.**

/

1. यह अपील गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की आपराधिक अपील संख्या 79 में पारित दिनांक 2 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है और 2003 की सत्र अदालत, कछार, सिलचर, असम द्वारा सत्र मामला संख्या 37 में पारित किए गए निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, जिसमें अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860

('आई. पी. सी.') की धाराओं के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

/

/

1153

डिबाकर नूनिया और ए. एन. आर. बनामअसम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

/

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू इस प्रकार हैं:

आई. डी. 1 को सुबह लगभग 10 बजे पीडब्लू-1 अमृत तांती ने घुंगुर पुलिस चौकी पर एफ. आई. आर. दर्ज करते हुए कहा कि पिछले दिन लगभग 12 बजे:30 आधी रात को, जब वह एक चुनाव अभियान के बाद सोनाई से घर लौट रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को पीडब्लू-5 जॉयनारायण की दुकान के पास कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय के सामने पड़ा पाया।मुखबिर के अनुसार, बिजली के दीपक की रोशनी से वह जमीन पर पड़े व्यक्ति की पहचान अपने छोटे भाई अमर तांती के रूप में कर सकता था।वह घर गया और अपने माता-पिता से पता चला कि दो आरोपी व्यक्तियों दिबाकर और बाबुल (अपीलकर्ता) ने शाम को मृतक पर हमला किया था।इसलिए, पीडब्लू-1 अमृत तांती ने लिखित एफ़. आई. आर. को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद घुंगुर पुलिस चौकी की जी. डी. प्रविष्टि संख्या 604 दिनांक 1 दर्ज की गई और एफ़. आई. आर. को सिलचर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को भेज दिया गया।तदनुसार, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302/34 के अंतर्गत 1999 का सिलचर पी. एस. मामला संख्या 1362 दर्ज किया गया था।

/

/

/

2.2.इस मामले की जांच मुख्य रूप से पीडब्लू-10 दीपेन पॉल द्वारा की गई थी।शव की जांच की गई जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।घटना से परिचित विभिन्न व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए।जाँच के समापन पर अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

/

2.3.अपराध की प्रकृति को देखते हुए, मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302/34 के अंतर्गत अपराध के आरोप के संबंध में, अपीलकर्ताओं ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।मुकदमे के दौरान

अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों से पूछताछ की गई।अपीलार्थियों ने बचाव में किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की।हालाँकि, अपीलार्थियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए थे।मुकदमे के समापन पर, अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई गई।

/

3. अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से मृतक के पिता पीडब्लू-2 सुखराम और मृतक की मां पीडब्लू-3 मेनोका ताती की गवाही पर आधारित था, दोनों को घटना का चश्मदीद गवाह कहा गया था।

/

3.1.पीडब्लू-2 सुखराम ने बताया कि घटना की तारीख को वह सिलचर से अपनी पत्नी के साथ रात करीब 8 बजे घर लौट रहा था।शिल्कुरी बाजार में, उन्होंने अपने बेटे अमर के रोने की आवाज सुनी और घटना स्थल की ओर दौड़े।उसने अपने सिर से बहुत खून बहते देखा।

/

बेटा।उन्होंने पाया कि आरोपी बाबुल अपने बेटे पर हावी हो रहा था और दूसरे आरोपी दिबाकर ने उस पर दाओ से हमला किया।अपने बेटे की चोटों से खून देखकर यह गवाह बेहोश हो गया और रात में उसे होश आ गया।गवाह ने कहा कि वह स्ट्रीट लाइट में दोनों आरोपी व्यक्तियों की पहचान कर सकता था।उन्होंने घटना की रात में अपने बेटे (पीडब्लू-1) को घटना की सूचना दी।

/

जिरह में, इस गवाह पीडब्लू-2 ने कहा कि हालांकि कुछ लोग घटना स्थल पर आए थे, लेकिन वे तुरंत चले गए।उन्होंने कहा कि हालांकि सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल घटना स्थल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वह अपने बेटे को वहां नहीं ले जा सके क्योंकि वह बेहोश था।

/

3.2.पीडब्लू-3 मेनोका टाटी पीडब्लू-2 की पत्नी और मृतक की सौतेली माँ है।उसने बताया कि घटना के समय वह अपने पति के साथ सिलचर शहर से घर आ रही थी।जब वे शाम

करीब 7/8 बजे शिल्कूरी बाजार पहुंचे, तो उन्होंने मृतक को मदद के लिए रोते हुए सुना। अपने पति के साथ, वह घटना स्थल पर गई और आरोपी बाबुल को मृतक का हाथ पकड़े हुए और दूसरे आरोपी दिबाकर को दाओ के माध्यम से उस पर हमला करते हुए देखा।उसके पति ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अभियुक्त व्यक्तियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने आगे कहा कि उसने लगभग 16 फीट की दूरी से घटना को देखा और बिजली की रोशनी में आरोपी व्यक्तियों की ठीक से पहचान कर सकी।इस गवाह ने यह भी कहा कि मृतक के शरीर से खून देखकर उसका पति बेहोश हो गया और वह अपने पति को घर ले गई।इस गवाह ने यह भी कहा कि घटना की रात ही उसने पीडब्लू-1 को सुबह लगभग 3 बजे घटना की सूचना दी जब पीडब्लू-1 पुलिस के साथ घर लौटी।

/

/

इस गवाह ने जिरह में कहा कि उसने आरोपी व्यक्तियों और मृतक के बीच झगड़ा देखा था। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव का खंडन किया कि मृतक हमेशा नशे में रहता था और खुद को अन्य व्यक्तियों के साथ झगड़े में शामिल रखता था।उसने कहा कि उसने बिजली की रोशनी में घटना स्थल पर लगभग 100/150 व्यक्तियों को देखा।

/

/

4. जहाँ तक मृतक के व्यक्ति पर चोटों का संबंध है, वे पीडब्लू-7 डॉ. होमेश्वर शर्मा की गवाही से स्थापित किए गए थे, जिन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गवाही दी थी, जिसमें चोटों को निम्नलिखित तरीके से बताया गया थाः

“चोटः

/

1155

डिबाकर नूनिया और ए. एन. आर. बनामअसम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

/

1) ऊपरी भाग में गर्दन पर कटा हुआ घाव तिरछा 11 x 6 x 6 सेंटीमीटर का होता है जो त्वचा से लेकर दूसरी ग्रीवा कशेरुका तक की सभी संरचनाओं को काटता है जो दाईं ओर की रक्त वाहिकाओं के साथ पूरी तरह से काटा जाता है (आरेख देखें)।2) उत्कीर्ण घाव-दो संख्याएँ-एक दूसरे के समानांतर और 5 x मापने वाले बाएं मंदिर के ऊपर 0.5 सेमी की दूरी पर रखी गई हैं।5 x 1 सेमी प्रत्येक।3) 4 x मापने वाले अर्ध-चंद्र आकार के छिद्रित घाव।5 स्कैपुला के निचले कोण पर वक्ष के बाईं ओर गहरी x वक्ष गुहा।

/

4) केवल दाहिने कंधे की पूर्ववर्ती सतह पर 4 सेंटीमीटर लंबी त्वचा का घाव।

/

5) 5 x मापने वाले दो कटे हुए घावों को 1 सेमी की दूरी पर रखा गया है।5 बाएँ लौकिक क्षेत्र के ऊपर x 1.5 से. मी. लौकिक क्षेत्र की बाहरी मेज तक काटते हुए लौकिक हड्डी की बाहरी मेज तक काटते हुए और घावों को तिरछा रखा जाता है।स्वरयंत्र को चोट संख्या 1 के अंतर्गत चीरा हुआ और मुखर तार को उजागर करते हुए पाया गया।

/

शरीर के बाकी अंग स्वस्थ और पीले थे। "

5. अन्य कथित निजी गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया, लेकिन विचारण न्यायालय ने पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के बयानों पर भरोसा किया, जबकि अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित टिप्पणी कीः“22. .....पी. डब्ल्यू. के स्पष्ट प्रमाण हैं।2 और पी. डब्ल्यू.3 कि मृतक के शरीर से बहुत खून बह रहा था, जिसे देखकर पी. डब्ल्यू.2 बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा।ऐसे कई लोग हैं जो नवजात मानव रक्त को नहीं देख सकते हैं और बेहोश हो जाते हैं।यह स्थिति पी. डब्ल्यू. 2 के मामले में हुई।कुछ लोगों ने बताया कि कैसे उन्हें घर ले जाया गया और रात में उन्हें होश आ गया और उन्होंने पी. डब्ल्यू. 1 को घटना की सूचना दी।पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य को ध्यान से देखने पर मुझे उनकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं मिलता है।उनके साक्ष्य को बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के माध्यम से चश्मदीद गवाह होने के लिए उचित रूप से स्वीकार किया गया है।अतः, स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 घटना के वास्तविक चश्मदीद गवाह थे।

/

/

/

23. पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 द्वारा गलत निहितार्थ का कोई आधार नहीं है।बचाव पक्ष का ऐसा कोई मामला नहीं है कि दोनों गवाहों का अभियुक्त व्यक्तियों के साथ कोई शत्रुतापूर्ण संबंध था।अभियुक्त व्यक्तियों के साथ पहले कोई रंजिश नहीं थी।उनके पास पीसने के लिए कुल्हाड़ी नहीं थी क्योंकि

/

/

ऐसी पिछली नाराज़गी।पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 के बचाव से इस संबंध में कोई सुझाव नहीं है।मृतक उनका अपना बेटा था, हालाँकि पी. डब्ल्यू. 3 सौतेली माँ थी।वे असली दोषियों को दोषमुक्त करके निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने नहीं जाते थे।इस प्रकार, पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 द्वारा गलत सबूत देने का कोई अनुरोध नहीं है, और मैं पाता हूं कि घटना के वास्तविक चश्मदीद होने के नाते मृतक के माता-पिता वास्तविक दोषियों और अपने बेटे के हमलावरों को पकड़ने के लिए आगे आए।

/

24. यह एक तथ्य है कि बिजली की रोशनी में रात करीब 8 बजे जब घटना हुई तो बाजार में कई लोग थे और दुकानदार वहां थे।यह प्रस्तुत किया गया है कि उनमें से कोई भी अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए नहीं आया था।इस तरह की प्रस्तुति के माध्यम से बचाव पक्ष ने स्वीकार किया है कि आरोपी व्यक्तियों की स्पष्ट रूप से पहचान करने के लिए घटना स्थल पर पर्याप्त रोशनी थी।अतः पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 के माध्यम से अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान संदेह या विवाद का विषय नहीं है।

/

/

6. विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के खिलाफ निष्कर्ष को निम्नलिखित तरीके से प्रस्तुत कियाः

“31. ऊपर जो चर्चा की गई है, उससे मैं पाता हूं कि 30.09 की शाम को।99 दो अभियुक्त व्यक्तियों दिबाकर और बाबुल ने सिलचर पी. एस. के अंतर्गत शिल्कूरी बाजार में मृतक पर घातक हथियार से हमला किया।यह मृतक के माता-पिता द्वारा देखा गया था जो पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 थे।घटना के तुरंत बाद इन चोटों से मृतक की मौत हो गई।अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की अच्छी तरह से पहचान की गई है।अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए, पिछले विवाद के कारण, मृतक पर महत्वपूर्ण भागों पर घातक हथियार से हमला किया।इसलिए, वे स्पष्ट रूप से मृतक की मौत का कारण बनना चाहते थे।अभियुक्तों में से एक ने मृतक को पकड़ लिया ताकि मृतक के घटनास्थल से भागने की कोई गुंजाइश न रहे और दूसरे अभियुक्त ने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के गवाहों-विशेष रूप से पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. को खारिज करने में विफल रहा।3 किसी भी तरह से।अतः, यह स्पष्ट रूप से अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक की हत्या का मामला है।

/

/

/

32. हालाँकि, मैं पाता हूँ कि पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 के साक्ष्य के अनुसार, पहले मृतक और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ था।लेकिन मृतक पूरी तरह से निहत्थे थे और आरोपी ए

/

1157

डिबाकर नूनिया और ए. एन. आर. बनामअसम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

लोग घातक हथियारों से लैस थे।इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों पर पहले मृतक ने हमला किया था।वे अभियुक्त व्यक्ति थे जिन्होंने बिना किसी आधार के मृतक पर हमला किया।घटना स्थल पर मृतक की ओर से कोई उकसावा नहीं किया गया।इसलिए, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से दंडनीय यू/एस 302 आई. पी. सी. हत्या का मामला है। बचाव पक्ष मामले को यू/एस 300 आई. पी. सी. के किसी भी अपवाद के समक्ष लाने में विफल रहा। अपराध करने में अभियुक्त व्यक्तियों के लिए कोई बहाना या अपवाद नहीं है। उन्होंने मृतक पर सार्वजनिक सड़क पर शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर घातक हथियारों से हमला किया।इस प्रकार, वे मृतक की मृत्यु का कारण बनना चाहते थे और उसी का कारण बने।

/

/

7. उच्च न्यायालय के समक्ष पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की विश्वसनीयता पर गंभीरता से प्रश्न उठाए गए थे।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों की ओर से आग्रह की गई दलीलों को निम्नलिखित तरीके से खारिज कर दिया:“16. यह सही है, जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि पीडब्लू. 2 ने पुलिस के समक्ष अपने बयान में कहा था कि घटना के बाद वह अपनी पत्नी (पीडब्लू. 3) के साथ घर गया था और अपना भोजन किया था, जिसके बाद वे सोने गए थे।इस तरह का आचरण, सामान्य रूप से, अनुचित और अस्वीकार्य होता, विशेष रूप से जब पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 के बेटे को दो आरोपी-अपीलार्थियों द्वारा हमले का सामना करना पड़ रहा था जो 'दाओ' से लैस थे।हालाँकि, मामले का उपरोक्त पहलू सक्षम है-पी. डब्ल्यू. 3 की प्रतिपरीक्षा में प्रस्तुत बचाव संस्करण से समझा जा सकता है, जिसका प्रभाव यह है कि मृतक नशे की स्थिति में हुआ करता था और वह पहले अन्य लोगों के साथ कई झगड़ों में शामिल रहा था।यदि ऐसा है, तो पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 के झगड़े के बाद और हमले को देखने के बाद भी बाहर निकलने/जाने की बात पूरी तरह से समझ में आती

है।इसके अलावा, यह पी. डब्ल्यू. 3 के साक्ष्य में है कि मृतक पी. डब्ल्यू. 2 को खून से लथपथ देखकर वह बेहोश हो गया था, जिसके बाद उसे घर ले जाया गया और घर में रहते हुए उसे होश आ गया था।पीडब्लू 2 और पीडब्लू 3 के घटना स्थल से प्रस्थान और उनके सोने के बारे में भी पीडब्लू 3 की उपरोक्त गवाही पर समझाया और उचित रूप से समझा जा सकता है। इसलिए, यह हमारा सुविचारित विचार है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों की ओर से जो तर्क दिया गया है, उसके बावजूद, घटना के अधिकांश भौतिक भाग पर पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 3 का साक्ष्य स्वीकार्य है और हम दोनों चश्मदीद गवाहों की गवाही के आधार पर कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। "

/

/

/

/

/

1158

/

[2022] 6 एस सी आर।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में अप्रासंगिक विचारों पर आगे बढ़े हैं और अभियोजन मामले में महत्वपूर्ण कमियों को नजरअंदाज किया है।विद्वान वकील के अनुसार, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अनिवार्य रूप से पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की गवाही पर आधारित है, लेकिन उनके बयानों में न केवल गंभीर विरोधाभास हैं, बल्कि अंतर्निहित असंभवताएं भी हैं; और उनके बयान को अंकित मूल्य पर लेते हुए, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने बेटे को दो व्यक्तियों द्वारा हमला किए जाने पर खून से लथपथ देखने के बाद घर जाना और फिर भोजन करना और सोने जाना स्वाभाविक और सामान्य आचरण के खिलाफ है।

/

9. विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मृतक के माता-पिता के इस अप्राकृतिक आचरण को विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने इस अप्राकृतिक आचरण को इस तथ्य के संदर्भ में औचित्य प्रदान किया है कि मृतक कथित रूप से अन्य लोगों के साथ झगड़े में शामिल था।विद्वान वकील तर्क देंगे कि भले ही यह माना जाए कि मृतक झगड़े में शामिल था, उसके माता-पिता अपने बेटे के बारे में इतने चिंतित नहीं

होंगे जब उस पर दो व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था और उसके सिर से खून बहने से वह बुरी तरह घायल हो गया था।

/

/

10. विद्वान वकील आगे तर्क देंगे कि जब पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की गवाही को पूरी तरह से अप्राकृतिक आचरण होने के कारण विचार से हटा दिया जाता है, तो मामले का तथ्य यह है कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया है।मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलार्थी बरी होने के हकदार हैं।विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि घटना आईडी1 पर शाम करीब 7 से 8 बजे हुई थी, जबकि मृतक के भाई पीडब्लू-1 द्वारा आईडी2 पर सुबह 10 बजे ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी।एफ. आई. आर. में यह अत्यधिक देरी अस्पष्ट रही थी और इस तरह की एफ. आई. आर. पर अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास नहीं किया जा सकता था।

/

/

11. राज्य के विद्वान वकील ने आक्षेपित निर्णय और आदेश का विधिवत समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि जब परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखा जाता है, तो पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के बयानों को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है और उक्त बयानों के आधार पर समवर्ती निष्कर्ष किसी भी हस्तक्षेप का आह्वान नहीं करते हैं।

/

12. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री की जांच की है।

13. इस मामले में, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने साक्ष्य की सराहना में सहमति व्यक्त की है और समवर्ती ए पर पहुंचे हैं।

/

1159

डिबाकर नूनिया और ए. एन. आर. बनामअसम राज्य [दिनेश माहेश्वरी, जे.] ए.

तथ्य के निष्कर्ष; और आम तौर पर, तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील में, यह न्यायालय साक्ष्य की पुनर्मूल्यांकन में प्रवेश नहीं करेगा।तथापि, यदि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का निर्धारण विधि या प्रक्रिया की किसी त्रुटि या

साक्ष्य के गलत अध्ययन या न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों की किसी भी अवहेलना से दूषित हो जाता है, जिससे गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय होता है, तो यह न्यायालय किसी उपयुक्त मामले में हस्तक्षेप करने पर विचार कर सकता है ताकि न्याय की विफलता को रोका जा सके।

/

14. वर्तमान मामले की समग्रता की जांच करने के बाद, हम इसमें हस्तक्षेप पर विचार करने के लिए प्रेरित हैं क्योंकि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण से ग्रस्त हैं जिससे न्याय की विफलता होती है।

/

15. जैसा कि देखा गया है, प्रश्न निष्कर्ष अनिवार्य रूप से पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की गवाही पर आधारित हैं, जिन पर घटना के चश्मदीद गवाह होने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन मामले के समर्थन में किसी अन्य स्वतंत्र गवाह ने गवाही नहीं दी है।उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि पीडब्लू-2 ने पुलिस के समक्ष अपने बयान में कहा था कि घटना के बाद वह अपनी पत्नी पीडब्लू-3 के साथ घर गया, खाना खाया और सोया।उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा था कि सामान्य रूप से इस तरह का आचरण अनुचित और अस्वीकार्य होगा, विशेष रूप से जब इन गवाहों के बेटे को दो व्यक्तियों द्वारा हमले का सामना करना पड़ रहा था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उभरने वाले तथ्यों को ध्यान में रखा कि मृतक अपने माता-पिता की जानकारी में अन्य लोगों के साथ कई झगड़ों में शामिल रहा था।उच्च न्यायालय के अनुसार, मृतक की ऐसी पृष्ठभूमि पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के घटना स्थल से अस्तित्व/प्रस्थान और उनके सोने के बारे में भी बताएगी।सम्मान के साथ, हम इस दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

/

/

16. पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 के दावे के अनुसार, उन्होंने अपने बेटे पर दो लोगों द्वारा हथियार से हमला होते देखा था।पीडब्लू-2 कथित तौर पर अपने बेटे के शरीर से खून बहते देख बेहोश हो गया था।उस स्थिति और परिदृश्य में, यह समझना मुश्किल है कि ये गवाह अपने घायल बेटे के कल्याण की परवाह किए बिना घर जाते, खाना खाते और सोने जाते।यह पहलू इस तथ्य के साथ जुड़ा हुआ है कि उन्होंने कथित तौर पर पीडब्लू-1 को घटना के बारे में तब बताया था जब वह अपने भाई का शव देखकर घर पहुंचा था।फिर, अगले दिन सुबह 10 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।

/

/

17. सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की गवाही को किसी भी दृष्टिकोण से घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था।इसके अलावा, पीडब्लू-4 बीरेन पात्रा, पीडब्लू -

/

1160

/

[2022] 6 एस सी आर।

5 अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाह के रूप में पेश किए गए जॉयनारायण कालेवार, पीडब्लू-8 दिलीप खेरा और पीडब्लू-9 सुदामा बारी ने अभियोजन पक्ष के मामले का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया।

18. कथित स्थिति होने के कारण, अपीलकर्ताओं को, भले ही प्राथमिकी में नामित किया गया हो, इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता था।

/

19. यह सामान्य बात है कि ऐसे आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष से अपने मामले को साबित करने और उचित संदेह से परे आरोप को साबित करने की अपेक्षा की जाती है।एक उचित संदेह केवल एक संभावित संदेह नहीं है, बल्कि कारणों और सामान्य ज्ञान पर आधारित एक उचित संदेह है।यह मामले 1 में साक्ष्य से विकसित होना चाहिए।जब किसी मामले में उचित संदेह उत्पन्न होता है, तो अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, मामले में यथोचित रूप से उत्पन्न होने वाली शंकाओं को उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर खारिज कर दिया था जो स्वयं अस्वीकार्य है।पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 की गवाही को इस टिप्पणी के साथ स्वीकार करने में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण कि उनके लिए वास्तविक अपराधी के अलावा किसी को भी फंसाने का कोई कारण नहीं था, फिर से, उन धारणाओं के अनुरूप है जो दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के साथ संगत नहीं हैं।

/

/

20. यह सच है कि मृतक पर बेरहमी से हमला किया गया था और उसे महत्वपूर्ण भागों पर कई चोटें आई थीं, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि अकेले अपीलार्थी ही ऐसी चोटों के लेखक थे।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इसे विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप के लिए एक उपयुक्त मामला पाते हैं।

/

21. तदनुसार और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है।

और इसकी अनुज्ञात है।

22. गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की आपराधिक अपील संख्या 79 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ 2003 के सत्र मामले संख्या 37 में सिलचर में कछार के सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया है। और अपीलार्थियों को इस प्रकार बरी कर दिया जाता है।यदि अपीलार्थी हिरासत में हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

/

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

1 वीडियोःभास्कर रामप्पा मदार और अन्य बनामकर्नाटक राज्यः(2009) क्राई। एल. जे. 2422 (एससी) (पेज पर। 2431)

/